

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्य प्रदेश

क्रमांक/अस्प.प्रशा./सेल-3/2021/539
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/04/2021

समस्त अधिष्ठाता चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
मध्य प्रदेश।

विषय:- कोविड 19 संक्रमित रोगी कि डायलिसिस के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- संचालनालय का पत्र अ.प्रशा/सेल 3/1079 दिनांक 30/09/2020

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको पूर्व में कोविड 19 संक्रमित रोगी कि डायलिसिस के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। वर्तमान में कोविड 19 संक्रमित रोगी कि डायलिसिस के सम्बन्ध में पूर्व में जारी दिशा निर्देशों में आंशिक संशोधन के साथ नवीन दिशा निर्देश निम्नानुसार है :-

यदि किसी कोविड-19 संक्रमित रोगी को डायलिसिस की आवश्यकता है तो ऐसे व्यक्ति को ICMR द्वारा जारी गाइडलाइन्स अनुसार हाई रिस्क श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। ऐसे मरीज को चुकी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में उपचारित किया जाना है अतः चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में ही डायलिसिस प्रदाय किया जाना है। इस सम्बन्ध में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में 1 डायलिसिस मशीन कोविड-19 संक्रमित रोगी हेतु चिन्हांकित कि जानी है।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित है कि जिला चिकित्सालय में डायलिसिस हेतु पंजीकृत समस्त रोगियों को कोविड-19 इन्फेक्शन की स्थिति में उपलब्ध डायलिसिस उपचार सम्बंधित सूचना एवं चिन्हित चिकित्सालय की जानकारी पूर्व में प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें।

//

(मोहम्मद सुलेमान)
अपर मुख्य सचिव,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग मध्य प्रदेश
भोपाल, दिनांक 20/04/2021

पृक्रमांक/अस्प.प्रशा./सेल-3/2021/540
प्रतिलिपि :-सूचनार्थ

1. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ मध्य प्रदेश।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम भोपाल मध्य प्रदेश।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ जबलपुर संभाग जबलपुर मध्य प्रदेश।

अपर मुख्य सचिव,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग मध्य प्रदेश